

प्रेम,

श्रीम प्रकाश कुमार
मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा विभाग

सेवा में,

श्रीमि. सहायक शिक्षा प्रमुख,
उच्च शिक्षा-2, नई दिल्ली
प्रति निवेदन है।

शिक्षा 171 अनुभाग

तखतः दिनांक :

20 जून 2003

विषय:-

उत्कृष्ट परीक्षा स्कूल साक्षात् : कक्षापाठ्यक्रम की सी.बी.एस.सी. नई दिल्ली से
संबद्धता हेतु अनारपित प्रमाण पत्र दिये जाने पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **सी.बी.एस.सी.** नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनारपित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौसाथी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 3090 मा० शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वैस्टिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 3090 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गमित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/मंजूरियों में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गूढ़ या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भरदीय,

१. शिक्षा प्रकाश मंत्रालय
संयुक्त राज्य ।

पृ० संख्या एवं दिनांक तद्वै

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **आगरा ।**
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **आगरा ।**
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय, 30 प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **संयुक्त राज्य प्रकाश मंत्रालय, आगरा ।**
- 6- गार्ड फ़ाइल ।

आज्ञा है,

१. शिक्षा प्रकाश मंत्रालय
संयुक्त राज्य ।